न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र सोनी आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कानाराम पुत्र परखाराम जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर बहेसियत प्रोपराईटर उचित मूल्य दुकान वार्ड नबंर 22 नगरपालिका भीनमाल		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 34/2019

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1.श्री देवीलाल अभिभाषक अपीलान्ट।

2-श्री ओमप्रकाश चौयल, प्रर्वतन अधिकारी

निर्णय

दिनांकः-26.07.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2017 अनवान सरकार बनाम कानाराम पुत्र परखाराम जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर बहेसियत प्रोपराईटर उचित मूल्य दुकान वार्ड नबंर 22 नगरपालिका भीनमाल में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 12/2017 सरकार बनाम कानाराम निर्णय दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 के जरिये अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल श्री जितेन्द्र द्वारा दिनांक 12.04.2017 को समय करीब 4.30 PM बजे भीनमाल नगरपालिका वार्ड संख्या 22 में स्थित अपीलांट की उचित मूल्य दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद पाई गयी। दुकान पर कोई बोर्ड या नाम लिखा पाया गया। मौके पर अपीलांट को फोन किया तो घर होना बताया। दुकान पर आने के लिए कहा गया, लेकिन अपीलांट दुकान पर नहीं पहुंचा। आस-पास लोगों से पूछने का मौका रिपोर्ट में हवाला दिया व दुकान कई दिनों से बंद है एवं बंद करने का कारण नहीं पाने की मौका रिपोर्ट बनायी गयी। जिस पर 2-3 जनों के हस्ताक्षर लिए जाकर फर्द तैयार कर उसके बाद प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल ने एक रिपोर्ट रेस्पोडेंट को इस आसय को लिखी कि वार्ड संख्या 19 के उचित मूल्य दुकानदार अपीलांट को बार-बार कहने पर स्टॉक व नक्शे प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी मौके पर पहुंचा तो दुकान बंद मिली। दुकान बंद

होने का कोई कारण लिखा हुआ नहीं था। आस-पास पता करने पर मालूम चला कि दुकान कई दिनों से बंद है तब प्रवर्तन निरीक्षक जितेन्द्रसिंह ने अपीलांट को फोन कर मौके पर बुलाया गया पर वह नहीं आया। इसके संबंध में पूर्व में भी समय पर दुकान नहीं खोलने की शिकायत प्राप्त हुयी। इसलिए रेस्पोंडेंट को प्रवर्तन अधिकारी जितेन्द्रसिंह द्वारा अपीलांट को तुरन्त प्रभाव से उसके विधिवत अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने तथा अग्रिम कार्यवाही की अनुशंषा के साथ दिनांक 12.04.2017 को मौका रिपोर्ट भेजी गयी। उसी के साथ प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल ने अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के लिये रेस्पोंडेंट को लिखा गया, उसमें स्वयं भीनमाल के प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी जितेन्द्रसिंह ने वार्ड संख्या 8 के उचित मूल्य के दुकानदार जगदीशकुमार पुत्र खंगारारामजी के नाम से वार्ड संख्या 19 के उचित मूल्य की जो पूर्व में अपीलांट के नाम से अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ था उसको निलंबित कर प्रवर्तन अधिकारी भीनमाल के कहेनुसार वार्ड संख्या 8 के दुकानदार जगदीशकुमार की दुकान से वितरण की व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर की गयी, जिस पर रेस्पोडेंट ने दिनांक 30.10.2017 को बिना अपीलांट को सुने अपने कार्यालय में एकतरफा आदेश पारित किया कि राशन डीलर अपीलांट द्वारा दिनांक 01.09.2016 से व माह सितंबर 2016 से मासिक नक्शे प्रस्तुत नहीं किये गये व वक्त जांच दुकान बंद पायी गयी व बंद होने का कोई कारण लिखा नहीं होना पाया गया। उक्त कारणों के आधार पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट को नोटिस तामील की विधिवत तस्दीक किये तथा बिना अपीलांट को सुने दिनांक 13.04.2017 को दो आदेश पारित किये, जिसमें एक आदेश क्रमांक 12/96 पारित किया, जिसमें अपीलांट को तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया व दूसरे आदेश दिनांक 13.07.2017 रसद/13/12 पारित कर उचित मूल्य की दुकान वार्ड संख्या 20 अवशेष स्टॉक जगदीशकुमार को सुपुर्द करवाकर सुपुर्दगी भिजवाने का आदेश पारित किया। उसके बाद अपीलांट को बिना सुने दिनांक 30.10.2017 को आदेश पारित कर अपीलांट द्वारा बरती अनियमितता के लिए प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाने व अपीलांट राशन डीलर के विरूद्ध आवश्यक वसूली का आदेश करवाकर पत्रावली फैसल शुमार की गयी, जिसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ व पालनार्थ क्रमांक/रसद/एफ.पी.एस/2017/4675 दिनांक 31.10.2017 का आदेश पारित आदेश भेजा गया। दिनांक 31.10.2017 को रेस्पोडेंट द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से व अपीलांट को सुनिश्चित सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनी प्रावधानों की भूल की, जिससे अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है, जिसकी अपील निम्न आधारों पर पेश है:-

जिला रसद अधिकारी जालोर व प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल द्वारा जो भी कार्यवाही बाबत अनियमितता अपीलांट के विरूद्ध लाई गयी वह सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा बिना अपीलांट को सुने अमल लाई गयी, जो प्राकृतिक न्याय, विधि के सिद्धान्तो के विपरीत है।

तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी भीनमाल जितेन्द्रसिंह द्वारा मौके पर जाकर अपीलांट के राशन डीलर की दुकान पर पहुंचकर दिनांक 12.04.2017 को शाम करीब 4.30 बजे दुकान मौके पर बंद पाई व प्रवर्तन अधिकारी के मौका रिपोर्ट Annexure 1 पर यह ईबारत लिखी की मौके से कानाराम को फोन करने पर खुद को घर पे होना बताया दुकान पर आने के लिये कहा गया पर वह दुकान पर नही पहुंचा उक्त तथ्य की पुष्टि बाबत स्वतंत्र गवाह मौजूद नही है।प्रवर्तन अधिकारी ने बिना आधार मौका रिपोर्ट में दुकान कई दिनो से बंद होने की ईबारत लिखी है।उक्त तथ्य की पुष्टि नही होने से मानने योग्य नही है।तत्कालीन प्रवर्तन

निरीक्षक ने रिपोर्ट आंफिस में बनवाई है।बल्कि मौके पर जाकर नही बनाई है इसलिए मानने योग्य नही है। Annexure 1 विधि विरूद्ध तरीके से तैयार करने के आधार से अपीलाधीन आदेश काबिल अपास्त है, क्योकि Annexure 1 पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर नही है व हस्ताक्षर नही करने से मना करने की ठबारत नही लिखी है। अपीलांट के विरूद्ध तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल जितेन्द्रसिंह ने श्रीमान जिला रसद अधिकारी जालोर को एक अभियोजन चलाने हेतु विषय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में एक प्रार्थना पत्र लिखा गया जो कि Annexure 2 है, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी भीनमाल ने स्वंय अपनी रिपोर्ट से जानकार व प्रवर्तन का जिम्मेदार व जबाबदार व्यक्ति होने के बाद Annexure 2 में यह वर्णित किया है कि भीनमाल नगरपालिका के वार्ड संख्या 19 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स कानाराम पुत्र परखाराम को बार बार कहने के उपरान्त स्टॉक व नक्शा पेश नही किये जिसे लेने के लिए मौके पर मै कानाराम की उचित मूल्य दुकान पर पहुंचा मौके पर दुकान बंद थी अर्थात तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी भीनमाल ने दिनांक 12.04.2017 को वार्ड संख्या 19 में स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया तो दुकान अपीलांट कानाराम के नाम से आवंटित नही थी।जबकि वास्तविकता कानाराम के नाम से उसको जारी हुई लाईसेन्स अनुसार वार्ड संख्या 22 में सन् 2000-01 में आवंटित की गई थी, जो दौराने जांच सन् 2017 के वार्ड संख्या 20 में स्थित थी अर्थात प्रवर्तन अधिकारी ने जो Annexure रिपोर्ट 1 व 2 बनाई गई है वह वार्ड संख्या 19 में स्थित उचित मूल्य की दुकान की बनाई है जो अपीलांट से संबंधित नही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश जो Annexure 1 व 2 के आधार पर पारित किया गया वह काबिल अपास्त है। जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/रसद/एफपीएस/2017/1296 दिनांक 13.04.2017 Annexure 3 पारित किया गया जिसमें प्रवर्तन अधिकारी भीनमाल की जांच रिपोर्ट Annexure 1 व 2 के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध गंभीर अनियमितता का आधार मान उसको जारी प्राधिकार दिनांक 24.02.2001 को अन्तिम आदेश तक निलंबित किये जाने का आदेश पारित कर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रतिलिपि भेजी गई, जो प्रतिलिपि अपीलांट को प्राप्त नही हुई व एकतरफा आदेश Annexure 3 पारित किया गया है। उसी दिन जिला रसद अधिकारी जालोर ने आदेश क्रमांक/रसद/2017/1322 दिनांक 13.04.2017 को आदेश अपीलांट को सुने बिना पारित कर वार्ड संख्या 20 की उचित मुल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र कानाराम पुत्र परखाराम नाम से जारी था, जिसे बिना सुने जगदीशकुमार पुत्र खंगारामजी उचित मूल्य दुकान वार्ड संख्या 8 नगरपालिका भीनमाल के साथ किया जाने का आदेश पारित किया। साथ ही प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी भीनमाल को निर्देशित किया कि वार्ड संख्या 20 का शेष स्टॉक अविलंब जगदीशकुमार को किमतन /रसीदन भिजवाना सुनिश्चित कर Annexure 4 आदेश पारित किया जिसकी सूचनार्थ व पालनार्थ प्रतिया सभी को भेजी गई लेकिन उक्त आदेश भी प्राकृतिक न्याय व विधि के सुस्थपित सिद्धांतो के विरूद्ध पारित किया गया, क्योकि इसमें अपीलांट को नही सुना गया न ही सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया, इस आधार Annexure 4 का आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है। दिनांक 30.10.2017 को बिना अपीलांट को सुने व उसे सुनवाई हेतु उचित अवसर दिये बिना नोटिस की तामिल करवाये Annexure 5 आदेश पारित किया, जिसके अनियमितता के बिन्दु 1 के तहत दिनांक 01.09.2016 से गेहूँ का स्टॉक माह सितम्बर से मार्च 2017 तक मासिक नक्शा प्रस्तुत किया जाना नही पाया, जबकि उक्त नक्शे प्रस्तुत करने बाबत तत्कालीन स्थाई प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को नोटिस नही दिया गया, जिससे उक्त आदेश एकतरफा पारित

किया गया।आदेश के अनियमितता का बिन्दु संख्या 2 यह कि वक्त जांच दुकान बंद पाई गई, दुकान बंद का कोई कारण नही लिखा पाया गया है। अपीलांट बीमार था जिसके पेट में पथरी की समस्या अक्सर रहती थी जिस कारण वह ईलाज हेतु अस्पताल गया था।जब मौके पर प्रवर्तन अधिकारी पहुचे उसकी सूचना न तो प्रवर्तन अधिकारी ने दी न ही अन्य कर्मचारी ने दी वरना अपीलांट मौके पर आकर अवष्य दुकान खोलता विभागीय कार्यवाही में अधिकारियो द्वारा आज दिनांक तक अपीलांट को न तो नोटिस दिया गया न ही उसके तामिल की तस्दीक की गई कि नोटिस तामील हुआ अथवा नही।इसलिए उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से Annexure 5 काबिल निरस्त है, जो मौका रिपोर्ट Annexure 1 व 2 वार्ड नबंर 19 की दुकान बाबत तैयार की जो कानाराम के नाम से आवंटित नही है।जिला रसद अधिकारी जालोर ने अपने आदेश क्रमांक/रसद/एफपीएस/2017/**4675** दिनांक 31.10.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन किया व एकतरफा आदेश अपीलांट को सुने बिना पारित किया है कि नगरपालिका भीनमाल की वार्ड संख्या 20 के उचित मूल्य में दुकानदार द्वारा गभीर अनियमितता बरतने पर विभागीय कार्यवाही मुकदमा 12/2017 में प्रतिभूमि जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया जो काबिले अपास्त है। अपीलांधीन आदेश जिला रसद कार्यालय जालोर द्वारा पारित करने एवं अपीलांट भीनमाल तहसील जिला जालोर का निवासी होने से अदालत श्रीमान को अपील श्रवणाधिकार प्राप्त है आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने व सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस की नकले प्राप्त होने की तिथि से अपील अन्दर म्याद है।

अत: अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से अपास्त करवाने का आदेश फरमावे व साथ ही अपीलांट के प्राधिकार पत्र जिला रसद पत्र संख्या 32/2001 भीनमाल शहर दिनांक 24.01.2001 को बरकार रखने का आदेश फरमावे।अपीलांट की जमा राशि उक्त अधिकार पत्र के तहत जमा रखने का आदेश पारित करे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोराहते हुये कथन किया है कि यह अपील जिला रसद अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2017 व 31.10.217 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, दिनांक 30.10. 2017 को अपीलांट के विरूद्ध निर्णय किया गया है। तथा दिनांक 31.10.2017 को निर्णय की पालना में प्रतिभूति जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल द्वारा दिनांक 12.04.2017 को दुकान का निरीक्षण किया गया था। तब दुकान बंद थी लेकिन अपीलांट राशन डीलर के विरूद्ध गबन अथवा भष्टाचार का कोई प्रकरण नही रहा है। मौका निरीक्षण वक्त किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नही लिये गये है निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार नही कर कार्यालय में ही बैठ कर तैयार की गई है। जो गलत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। साथ ही जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 12/2017 में सुनवाई हेतु अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नही दी गई तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। दिनांक 30. 10.2017 को पारित किया गया निर्णय एक पक्षीय होने से प्राकतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। Essential commodities act-1984 section 19(1) की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का भी वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया।

बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित पैरोकार द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के खण्ड 6 में यह शर्ते है कि प्राधिकार पत्र धारक को प्राधिकार की शर्ते मानना अनिवार्य है। वक्त निरीक्षण दिनांक 12.04.2017 को 4:30 पी.एम पर दुकान बंद पाई गई थी, जबकि दुकान खुली रखने की निर्धारित समयावधि सुवह 9.00 से साय 6.00 बजे तक है। डीलर को 4.30 पी.एम. बजे दुकान बंद होना पाया जाने पर फोन से बुलाया था। परन्तु डीलर उस वक्त उपस्थित नही आया। मौके पर तैयार की गई फर्द पर तीन गबाहो के हस्ताक्षर है। वर्ष 2001-02 में प्राधिकार पत्र जारी किया था। उस वक्त वार्ड संख्या 22 के लिये था। वार्ड परिसिमन प्रकिया के बाद उक्त वार्ड 19 नंबर बना है। प्रकरण संख्या 12/2017 में सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के लिये अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से कई बार नोटिस भिजवाये गये थे। लेकिन सुनवाई के दौरान उपस्थित नही होने एवं किसी प्रकार का जबाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 30.10.2017 को निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघन करने एवं जबाब /साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण प्रतिभूति जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त का आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर किया गया है। अपीलांट द्वारा यह अपील 10 माह बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गई है।विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में व्यक्त नही किये है। इस कारण अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण अन्दर म्याद भी शुमार किये जाने योग्य नही है।अत:अपील खारिज फरमावे। लिमिटेशन प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अपीलांट के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 की जानकारी अपीलांट को नही थी। जानकारी होने पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नकले प्राप्त करने पर जानकारी होने पर एवं अपीलांट स्वंय बीमार होने के कारण यह अपील देरी से प्रस्तुत की गई है।देरी के लिये क्षमा करावे।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भीनमाल के तत्समय वार्ड संख्या 20 (वर्तमान वार्ड संख्या 19) की उचित मूल्य की दुकान अपीलांट को आवंटित थी, उक्त दुकान निरीक्षण हेतु प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 12.04.2017 को सांय 04:30 पीएम बजे पहुंचे तो दुकान बन्द पायी गई तथा दुकान बन्द के कारण वर्णित करते हुए कोई सूचना भी दर्शित नहीं थी। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार आस-पास उपस्थित व्यक्तियों ने यह बताया कि दुकान कई दिनों से बन्द है। प्रवर्तन निरीक्षक ने रिपोर्ट यह भी लिखा कि उक्त डीलर (अपीलांट) को फोन से बुलाया गया परन्तु वह दुकान पर नहीं पहुंचा।

उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर 3 व्यक्तियों के साक्ष्य स्वरूप हस्ताक्षर भी मौजूद है। इस पर उक्त डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रथमत: आदेश दिनांक 13.04.2017 द्वारा प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तत्पश्चात सुनवाई हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस भेजे जाने पर भी उपस्थिति होकर प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। तदानुसार जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 को उक्त डीलर (अपीलांट) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर वार्ड 8 के डीलर के मार्फत वैकल्पित व्यवस्था की गई।

अपीलांट की तरफ से वर्णित किया गया कि उक्त समस्त कार्यवाहीयां उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये की गई है जो काबिल अपास्त है। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि अपीलाधीन आदेश की सूचना नहीं होने, आर.टी. आई. के तहत आवेदन कर नकले प्राप्त करने पर जानकारी होना तथा बीमार होने

के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को लिमिटेशन एक्त की धारा 5 के आवेदन मय शपथ-पत्र के आलोक में क्षमा किया जावे यह भी कहा गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार समुचित नोटिस नहीं दिये जाने व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकान खुली रखने की नियत समयावधि में दुकान खुली रखना आवश्यक है। अन्य किसी स्थिति के संबंध में या अपरिहार्य कारण से बन्द रखने पर दुकान पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित करनी चाहिये। साथ ही यह भी जब सक्षम अधिकारी द्वारा फोन पर सूचित कर बुलाया जावे तब या तो उपस्थिति होना चाहिये या उपस्थित नहीं हो सकने के सुसंगत कारण से अवगत करवाना चाहिये।

उक्त डीलर द्वारा प्राधिकार-पत्र की शर्तो की पालना में व्यतिक्रम किया है। जहां तक सुनवाई हेतु नोटिस नहीं मिलने का प्रश्न है तो जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेजने का उल्लेख बहस के दौरान किया गया तथा सामान्यत: यही प्रक्रिया अपनाये जाने का भी हवाला दिया। यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरणों में विपरित रूप से प्रभावित होने वाले पक्षकार को नोटिस की तामिली में और स्पष्टता व संशय रहित सिद्ध किये जा सकने योग्य प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। परन्तु मात्र इस आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट, प्राधिकार पत्र निलम्बन आदेश, अन्य डीलर से इस वार्ड की राशन की वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश, प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश जैसे समस्त आदेशों से अपीलांट अनभिज्ञ हो यह संभव प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकार पत्र की शर्तो की पालना बाध्यकारी है इससे किसी भी आधार पर मुक्ति नहीं संभव नहीं है। अत: इस आधार पर अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त करने हेतु बहुत मजबूत तथ्यात्मक एवं विधिक आधार अपीलांट प्रस्तुत करने में विफल रहा है। अत: उक्त कारणों से यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण में यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दिनांक 30.10.2017 व 31.10.2017 को प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश जारी हुआ जिसकी यह अपील दिनांक 28.08.2018 को प्रस्तुत की गई अर्थात लगभग 10 माह के अन्तराल से पेश की गई है। उक्त अन्यधिक विलम्बित अपील बाबत मात्र जानकारी न होना एवं पथरी की बीमारी होने का कारण वर्णित किया गया है। बीमारी बाबत प्रथम पर्ची माह जनवरी 18 की है जो मात्र 11.01.2018 व 12.01.2018 2 दिवस की ही है। जनवरी से पूर्व में अपीलांट के पास 2 माह 10 दिवस का समय था तथा 12.01.2018 के पश्चात भी और 7 माह 15 दिन का विलम्ब अपील दायर करने में किया गया। अत: बिना सुसंगत कारणों के विलम्ब भी क्षमा योग्य नहीं है। अत: उक्त अपील म्याद बाहर होने के कारण भी स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील गुणवगुण के आधार पर तथा म्याद बाहर होने के आधार पर, दोनो ही आधारो पर खारीज की जाती है।

(महेन्द्र सोनी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 18:49:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: